

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
मांग संख्या 15
दूरसंचार विभाग

क. वसूलियों और राजस्व प्राप्तियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			बजट 2004-2005			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	175.14	181.31	356.45	149.00	283.08	432.08	163.73	283.77	447.50	
पूंजी	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	508.00	509.00	
जोड़	176.14	181.31	357.45	150.00	283.08	433.08	164.73	791.77	956.50	
दूरसंचार										
1. सचिवालय आर्थिक सेवाएं	3451	...	4.61	4.61	...	4.55	4.55	...	4.34	4.34
2.01 प्रशासन महानिदेशालय	3451	...	36.09	36.09	...	37.94	37.94	...	38.60	38.60
2.02 प्रशासक-यूएसओ निधि	3451	...	1.00	1.00	...	0.90	0.90	...	0.92	0.92
2.03 दूरसंचार इंजीनियरी केंद्र	3451	2.27	10.06	12.33	2.48	9.72	12.20	4.00	9.77	13.77
2.04 सी-डेट	3451	38.66	...	38.66	38.66	...	38.66	81.38	...	81.38
जोड़		40.93	47.15	88.08	41.14	48.56	89.70	85.38	49.29	134.67
अन्य संचार सेवाएं										
3. वायरलेस अनुवीक्षण सेवाएं	3275	0.50	9.80	10.30	0.32	9.85	10.17	4.00	10.09	14.09
4. वि.एस.एन.एल. के शेरों को समाप्त करने हेतु संव्यवहार प्रभार	3275	0.07	0.07
5. भा.टे.उ. को प्रतिपूर्ति	3275	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50
6. अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जेनेवा व एशिया प्रशान्त दूरसंचार समुदाय को अंशदान	3275	...	6.20	6.20	...	6.50	6.50	...	6.50	6.50
7. बेतार और योजना समन्वय सम्बन्धी कार्यक्रम	3275	131.17	2.29	133.46	105.00	2.29	107.29	73.75	2.29	76.04
8. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण को अंतरण	3275	1.67	5.00	6.67	1.67	5.00	6.67	...	5.00	5.00
9. दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण को अनुदान	3275	0.87	2.13	3.00	0.87	2.13	3.00	0.60	2.13	2.73
10. भा.सं.नि.लि. को प्रतिपूर्ति	3275	2300.00	2300.00
भा.सं.नि.लि. को लाईसेंस फीस में से प्राप्ति घटाकर	1275	-2300.00	-2300.00
निवल	
11. पेंशन	2071	...	1011.20	1011.20	...	1011.20	1011.20	...	1155.00	1155.00
भा.सं.नि.लि. से वसूली योग्य अंशदान घटाकर	0071	...	-1011.20	-1011.20	...	-1011.20	-1011.20	...	-1155.00	-1155.00
निवल	
12. आई टी आई लिमिटेड को ब्याज संबंधी सब्सिडी	2852	...	2.63	2.63	...	2.63	2.63	...	2.63	2.63
13. भारत दूरभाष उद्योग लि. को ऋण।	6859	508.00	508.00
14. सार्वभौम सेवा देयता निधि में अन्तरण	3275	...	100.00	100.00	...	200.00	200.00	...	200.00	200.00
15.01 सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति	3275	200.00	200.00	...	200.00	200.00
15.02 घटाकर-सार्वभौम सेवा दायित्व निधि से अन्तरण	3275	-200.00	-200.00	...	-200.00	-200.00
निवल	
16.01 भारतीय टेलिफोन उद्योग लि. को ऋणों को बट्टे खाते डालना	2852	508.00	508.00
16.02 प्राप्तियों द्वारा प्रतिसंतुलित कर माफी	0852	-508.00	-508.00
निवल	
17.01 आईटीआई के पक्ष में बकाया दण्ड स्वरूप ब्याज की माफी	2852	20.74	20.74
17.02 प्राप्तियों द्वारा प्रतिसंतुलित कर माफी	0049	-20.74	-20.74
निवल	
18. भारत संचार निगम लि. को ऋण	7275	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
कुल जोड़		176.14	181.31	357.45	150.00	283.08	433.08	164.73	791.77	956.50

सं.15/ दूरसंचार विभाग

ख. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			(करोड़ रुपए) बजट 2004-2005		
		बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. भारतीय दूरभाष उद्योग	12859	...	202.00	202.00	...	70.00	70.00	...	120.00	120.00
2. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	13225	...	2284.00	2284.00	...	2026.00	2026.00	...	2557.00	2557.00
3. भारत संचार निगम लि.	13225	1.00	12284.00	12285.00	1.00	10607.00	10608.00	1.00	8808.00	8809.00
जोड़		1.00	14770.00	14771.00	1.00	12703.00	12704.00	1.00	11485.00	11486.00
ग. आयोजना परिव्यय*										
1. दूरसंचार और इलैक्ट्रॉनिक उद्योग	12859	...	202.00	202.00	...	70.00	70.00	...	120.00	120.00
2. दूरसंचार सेवाएं	13225	...	14568.00	14568.00	...	12633.00	12633.00	...	11365.00	11365.00
3. अन्य संचार सेवाएं	13275	185.00	...	185.00	152.01	...	152.01	175.00	...	175.00
जोड़		185.00	14770.00	14955.00	152.01	12703.00	12855.01	175.00	11485.00	11660.00

*इसमें शहरी विकास मंत्रालय की मांग में निर्माण कार्य परिव्यय के लिए की गई व्यवस्था शामिल है।

मांग संख्या-100	1.60	...	1.60	1.20	...	1.20
मांग संख्या-101	7.26	...	7.26	0.81	...	0.81	10.27	...	10.27
जोड़	8.86	...	8.86	2.01	...	2.01	10.27	...	10.27

1. **सचिवालय:** इसमें दूरसंचार विभाग से संबंधित भाग के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिवालय पर व्यय के लिए प्रावधान है।

2. **निदेशालय:** यह प्रावधान दूरसंचार विभाग के व्यय के लिए है जिसमें डॉट सैल, दूरसंचार इंजीनियरिंग केन्द्र, प्रशासक यूएसओ निधि और टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र शामिल हैं।

अन्य संचार सेवाएं:

3. **बेतार अनुवीक्षण सेवाएं-** इसमें बेतार अनुवीक्षण संगठन के व्यय के लिए व्यवस्था है जो रेडियो आवृत्ति प्रबन्ध हेतु अनुवीक्षण संबंधी निष्कर्षों के आधार पर तकनीकी और सम्बद्ध आंकड़े उपलब्ध कराता है, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत कतिपय सांविधिक कार्य पूरे करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रेडियो विनियमों का प्रवर्तन करता है। इसके अतिरिक्त, यह कारगर राष्ट्रीय रेडियो आवृत्ति प्रबंध हेतु रेडियो पारिषदों पर हर समय कड़ी निगाह रखता है।

5. **आई.टी.आई. को क्षतिपूर्ति-** इसमें श्रीनगर यूनिट में इसकी हानियों के लिए आई.टी.आई. को प्रदत्त क्षतिपूर्ति पर व्यय के लिए प्रावधान है।

6. **अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग :** इसमें अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ, जेनेवा और एशिया प्रशान्त समुदाय, बैंकाक को किए जाने वाले भुगतान से संबंधित अनुमान शामिल हैं।

7. **बेतार और योजना समन्वय कार्यक्रम:** यह प्रावधान बेतार-नियोजन और समन्वय स्कन्ध से सम्बन्धित व्यय के लिए है। बेतार-नियोजन और समन्वय स्कन्ध पारिषद और अभिग्राही केन्द्रों के लिए भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम, 1885 के विभिन्न उपबन्धों के तहत लाइसेंस जारी करता है और अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार बेतार-आपरेटरों के लिए परीक्षा आयोजित करता है।

8. **भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण:** इसमें भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की सामान्य निधि को स्थानांतरित करने की व्यवस्था है।

9. **दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण:** इसमें दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण से संबंधित व्यय के लिए व्यवस्था है।

11. **पेंशन:** इसमें भारत संचार निगम लि. में समामेलित कर्मचारियों सहित दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के पेंशन संबंधी लाभों के लिए प्रावधान है।

12. **आई टी आई को ब्याज सब्सिडी:** इसमें कंपनी द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए जुटाए गए बांडों पर आई टी आई की ब्याज देयताओं पर सब्सिडी को भुगतान के लिए प्रावधान है।

13. **भारतीय टेलिफोन उद्योग लि. को ऋण:** इसमें पीएसयू की बहाली के लिए आईटीआई लि. को ऋण का प्रावधान है।

14. **यूएसओ निधि को अन्तरण:** इसमें सार्वभौम सेवा देयता निधि को अन्तरण किए जाने के लिए प्रावधान है।

15. **यू.एस.ओ. निधि से मुआवजा:** इसमें 1991 की जनगणना के अनुसार अभिनिर्धारित गांव में ग्रामीण सार्वजनिक दूरभाषों के प्रचालन एवं अनुरक्षण हेतु सेवा प्रदाताओं को मुआवजा देने की व्यवस्था है।

16. **भारतीय टेलिफोन उद्योग को ऋण को बट्टे-खाते डालना:-** इसमें भारतीय टेलिफोन उद्योग को उसकी बहाली के लिए अनुमोदित किए गए ऋण को बट्टे-खाते डालने की व्यवस्था है।

17. **आई.टी.आई. के पक्ष में बकाया दण्डस्वरूप ब्याज की माफी:-** इसमें आई.टी.आई. के पक्ष में बकाया दण्डस्वरूप ब्याज की माफी की व्यवस्था है।

18. **भारत संचार निगम लि. के लिए ऋण:** इसमें भारत संचार निगम लि. को ऋण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

आयोजना परिव्यय

दूरसंचार विभाग के ब.अ. 2004-05 के लिए कुल आयोजना परिव्यय 11660.00 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है जिसमें बजट सहायता के रूप में 175 करोड़ रुपए तथा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के आन्तरिक तथा बजट वाह्य संसाधनों के रूप में 11485 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है। (आईटीआई-120 करोड़ रुपए, महानगर टेलीफोन निगम लि.-2557 करोड़ रुपए तथा भारत संचार निगम लि.-8808 करोड़ रुपए)।